

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संघिका संख्या-15/औ0-31-26/15...../स्वा0, पटना, दिनांक-.....

बिहार विष कब्जा एवं बिक्रय नियमावली, 2014 (Bihar Poison Possession and Sale Rules, 2014) जो विष अधिनियम, 1919 का 12 की धारा 2 एवं 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 की धारा 21 तथा आई0पी0सी0 की धारा 21 के तहत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों को उक्त नियमावली के तहत जाँच एवं अनुसंधान हेतु शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं। जिले में पदस्थापित सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षकों के कार्य की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-...../स्वा0, पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-.....५३५५...../स्वा0, पटना, दिनांक:-.....१५/३/१५.....

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आशुलिपिक/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिलाधिकारी, बिहार/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/ सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।